



राजस्थान सरकार कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



क्रमांक :- नियोजन/2023/

दिनांक :-

प्रमाण-पत्र

खातेदार/विकासकर्ता आन्दम हाईट डवलपर्स प्रा0 लि0 जरिए डायरेक्टर श्री यश गुप्ता पुत्र श्री रवि शंकर गुप्ता निवासी 3 ई 01 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर द्वारा आवेदित भूमि वाके चक 4 एमएल मुरब्बा नं. 40 के किला नं. 9 की 0.253 है. में से 0.146 है., किला नं. 10 में 0.253 है., किला नं. 11/2 में 0.230 है., किला नं. 12/1 की 0.2300 है. में से 0.210 है. कुल 0.8390 हैक्टेयर एवं चक 4 एमएल मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 11/2, 12/1, 13/2, 14/1 व 1522 प्रत्येक में 0.230 है. कुल 1.150 हैक्टेयर यथाकुल 1.9890 हैक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की कार्यवाही न्यास आदेश सं. LU2012/SGN/2022-23/100458 दिनांक 20.10.2022 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आदेश जारी है। आवेदित भूमि का ले आउट प्लान विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.8(ग)/(नियम/डी-43/2021/68664 जयपुर दिनांक 27.09.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना न्यास आदेश सं. टीपी/2021/1635 दिनांक 30.09.2021 के क्रम में न्यास स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 24.11.2022 द्वारा स्वीकृत है। खातेदार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उक्त योजना का नाम "श्री नाथ एक्लेव सैक्टर-3" रखा गया है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार विकासकर्ता की आवेदित भूमि (लेखाशाखा की गणना अनुसार जारी मांग पत्र क्रमांक नियोजन/2023/2965 दिनांक 20.01.2023) के बाहु विकास शुल्क की राशि 19,89,000/- रुपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि 3,97,800/- रुपये कम करते हुए शेष राशि 15,91,200/- रुपये, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार डीएलसी दर से राशि 7,70,208/- रुपये एवं बीएसयूपी फण्ड राशि 2,51,538/- रुपये यथाकुल राशि 26,12,946/- रुपये जरिये रसीद संख्या 50/1681 दिनांक 25.01.2023 द्वारा न्यास कोष में जमा है।

खातेदारान द्वारा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य नियत समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुद्ध भूखण्ड, (भूखण्ड संख्या SC-7, SC-8, SC-9 Each Size 40'-0" X 90'-0" Feet, SF-5, SF-6, SF-9, SF-10 Each Size 40'-0" X 55'-0" Feet, Total 07 Resi. Plot) न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनार्डजर्स/खातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनार्डजर्स/खातेदार आन्दम हाईट डवलपर्स प्रा0 लि0 जरिए डायरेक्टर श्री यश गुप्ता पुत्र श्री रवि शंकर गुप्ता निवासी 3 ई 01 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत अप्रडरेंकिंग और मौका निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न शर्तों के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

- स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य बिजली, पानी, सड़कें, स्ट्रीट लाईट, नाली, पार्क (लाईट, झुले, बैच, घास, पेड़-पौधे आदि), होरिंकल्वर आदि का निर्माण स्वयं कॉलोनार्डजर्स/खातेदार को स्वयं के खर्च पर नियत समयावधि में पूर्ण करवाने होंगे। न्यास उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऑवर हैड वाटर टैंक, वर्षा जल नालिया एवं सीवरेज का कार्य स्वयं खातेदार/कॉलोनार्डजर्स के स्तर पर करवाया जाएगा तथा इन कार्यों के विरुद्ध न्यास से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी। स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार आन्तरिक विकास कार्य एवं उपरोक्त वर्णित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही उक्त रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त किया जावेगा।
- योजना में नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में न्यास द्वारा रहनशुद्ध भूखण्डों को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगे। इस बाबत खातेदार/ कॉलोनार्डजर्स माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उजर प्रस्तुत नहीं करेगा।
- राजस्थान टाउनशिप पोलिसी-2010 अनुसार नियत अवधि में उपर्युक्तानुसार समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक कमेटी की अनुशंसा एवं कॉलोनार्डजर्स/ खातेदार द्वारा प्रस्तुत अप्रडरेंकिंग के अनुसार (भूखण्ड संख्या SC-7, SC-8, SC-9 Each Size 40'-0" X 90'-0" Feet, SF-5, SF-6, SF-9, SF-10 Each Size 40'-0" X 55'-0" Feet, Total 07 Resi. Plot) नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के पास बन्धक रहन रहेगा। कॉलोनार्डजर्स/खातेदार द्वारा किये गये विकास कार्यों के प्रमाणीकरण अनुसार रहनशुद्ध भूखण्ड को रहन मुक्त किया जायेगा।
- स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैकस, उचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
- यह है कि आवेदित भूमि को पूर्व दिशा से मास्टर प्लान 2017 - 2035 में प्रस्तावित 60 फीट सड़क मार्गाधिकार में आने वाली अपने स्वामित्व की 30 फीट गुणा 150 फीट भूमि निःशुल्क जरिये शपथ पत्र समर्पित की है। सड़क अलाईन्मेन्ट व मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की माँग नहीं करेंगे इस हेतु आप बाध्य रहेंगे।
- आवेदित भूमि में से यदि कोई खाला अथवा विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उसके संबंध में सुरक्षात्मक उपाय खातेदार/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनाये जावेंगे एवं जिसकी समस्त जिम्मेवारी आवेदक/प्रार्थी स्वयं की होगी।
- योजना में स्वीकृत इन्फॉर्मल सैक्टर के भूखण्ड माप 39'-0" X 110'-0" फीट (4290 वर्गफीट) का निष्पादन टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार किया जाना होगा।
- आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- अनुमोदित योजना मानचित्र में सुविधा क्षेत्र/पार्क/सड़क हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार न्यास को समर्पित करते है। आवेदित भूमि में स्वीकृत सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड माप Facility Size 120'-0" X 105'-0" फीट (12600 वर्गफीट) का उपयोग जन सुविधाओं (पब्लिक यूटिलिटी) हेतु किया जाएगा एवं उक्त भूखण्ड का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार न्यास स्तर पर जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा।



राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



1. योजना की समस्त सड़के, पार्क व खुला क्षेत्र न्यास में निहित होगा।
2. योजना में वैसे कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा।
3. योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जावेगा।
4. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, राजस्थान जयपुर का परिपत्र दिनांक 31.12.2020 की पालना में योजना का वैध संचालन हेतु प्रदूषण मण्डल की सम्मति, न्यास से अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये पूर्व प्राप्त का कर प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, राजस्थान जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/ परिपत्रों/ आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान व नोटिफिकेशन दिनांक 03.04.2017 में वर्णानुसार 2 हैक्टेयर तक की प्लॉटेड डवलमेन्ट योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु विकासकर्ता से आवासीय आरक्षित दर से गणना कर राशि लिये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त योजना में विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत आरक्षित दर से राशि 90 दिवस में जमा करवाई जानी होगी। उक्त अवधि के पश्चात जमा करवाये जाने वाली राशि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। (विभागीय आदेश क्रमांक प.18(36) नविधि/ एन.ए.एच.पी./ 2014 पार्ट दिनांक 04.05.2017)
6. योजना के आन्तरिक विकास कार्य, यथा सड़के, नालिया, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज एवं पेयजल आदि के समस्त कार्य टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 24 माह में किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शारित के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।
7. उपरोक्त योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूलस् 2017 के तहत पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
8. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रास्ट्रक्चर टवरस् हेतु स्थल आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/ आदेशानुसार किया जाना होगा।
9. टाउनशिप पोलिसी-2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होंगे।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

उपरोक्त सभी शर्तें मेरे/हमारे द्वारा पढ व समझ ली गई है, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।

सहमती हस्ताक्षर
(खातेदार/कॉलोनाईजर्स)

क्रमांक :- नियोजन/2023/ 3043
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 01/2/2023

1. खातेदार/विकासकर्ता आबदम हाईट डवलपर्स प्रा0 लि0 जरिए डायरेक्टर श्री यश गुप्ता पुत्र श्री रवि शंकर गुप्ता निवासी 3 ई 01 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर।
2. नियमन शाखा न्यास, श्रीगंगानगर को उक्त रहन रखे गये भूखण्डों का रूपांतरण नहीं करने एवं रहन रखे गये भूखण्डों तथा उक्त योजना में नियमन किये गये भूखण्डों का अलग से रजिस्टर सम्पूर्ण विवरण सहित संधारित करने बाबत।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

**प्रमाण-पत्र**

खातेदार/विकासकर्ता आन्दम हाईट डवलपर्स प्रा0 लि0 जरिए डायरेक्टर श्री यश गुप्ता पुत्र श्री रवि शंकर गुप्ता निवासी 3 ई 01 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर द्वारा आवेदित भूमि वाके चक 4 एमएल मुरब्बा नं. 40 के किला नं. 19 व 20 प्रत्येक में 0.0307 है., किला नं. 21 व 22 प्रत्येक में 0.253 है. कुल 0.5674 हैक्टेयर एवं चक 4 एमएल मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 16 ता 20 प्रत्येक में 0.307 है., किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.253 है. कुल 1.4185 हैक्टेयर यथाकुल 1.9859 हैक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की कार्यवाही न्यास आवेदन सं. LU2012/SGN/2022-23/100445 दिनांक 05.09.2022 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ दिनांक 06.10.2022 द्वारा आदेश जारी है। आवेदित भूमि का ले आउट प्लान विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.8(ग)()नियम/डी-43/2021/68664 जयपुर दिनांक 27.09.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना न्यास आदेश सं. टीपी/2021/1635 दिनांक 30.09.2021 के क्रम में न्यास स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 द्वारा स्वीकृत है। खातेदार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उक्त योजना का नाम "श्री नाथ एन्क्लेव सैक्टर-3" रखा गया है। नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार विकासकर्ता की आवेदित भूमि (लेखाशाखा की गणना अनुसार जारी मांग पत्र क्रमांक नियोजन/2023/2966 दिनांक 20.01.2023) के बाह्य विकास शुल्क की राशि 19,85,126/- रुपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि 3,97,025/- रुपये कम करते हुए शेष राशि 15,88,101/- रुपये, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार डीएलसी दर से राशि 8,16,541/- रुपये एवं बीएसयूपी फण्ड राशि 2,66,669/- रुपये यथाकुल राशि 26,71,311/- रुपये जरिये रसीद संख्या 29/1681 दिनांक 23.01.2023 द्वारा न्यास कोष में जमा है।

खातेदारान द्वारा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य नियत समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुद्धा भूखण्ड, (भूखण्ड संख्या SC-1, SC-19 Each Size 45'-6" X 90'-0" Feet, SC-1-A, SC-2, SC-18 Each Size 40'-0" X 90'-0" Feet, SD-20 Size 40'-0" X 70'-0" Feet, Total 06 Resi. Plot) न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनार्जर्स/खातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनार्जर्स/खातेदार आन्दम हाईट डवलपर्स प्रा0 लि0 जरिए डायरेक्टर श्री यश गुप्ता पुत्र श्री रवि शंकर गुप्ता निवासी 3 ई 01 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत अण्डरटैकिंग और मौका निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न शर्तों के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

- स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य बिजली, पानी, सड़कें, स्ट्रीट लाईट, नाली, पार्क (लाईट, झुले, बैच, घास, पेड़-पौधे आदि), होर्टिकल्चर आदि का निर्माण स्वयं कॉलोनार्जर्स/ खातेदार को स्वयं के खर्चे पर नियत समयावधि में पूर्ण करवाने होंगे। न्यास उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऑवर हैड वाटर टैंक, वर्षा जल नालिया एवं सीवरेज का कार्य स्वयं खातेदार/कॉलोनार्जर्स के स्तर पर करवाना जावेगा तथा इन कार्यों के विरुद्ध न्यास से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी। स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार आन्तरिक विकास कार्य एवं उपरोक्त वर्णित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही उक्त रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त किया जावेगा।
- योजना में नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में न्यास द्वारा रहनशुद्धा भूखण्डों को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगे। इस बाबत खातेदार/ कॉलोनार्जर्स माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उज्जर प्रस्तुत नहीं करेंगे।
- राजस्थान टाउनशिप पोलिसी-2010 अनुसार नियत अवधि में उपर्युक्तानुसार समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक कमेटी की अनुशंसा एवं कॉलोनार्जर्स/ खातेदार द्वारा प्रस्तुत अण्डर टैकिंग के अनुसार (भूखण्ड संख्या SC-1, SC-19 Each Size 45'-6" X 90'-0" Feet, SC-1-A, SC-2, SC-18 Each Size 40'-0" X 90'-0" Feet, SD-20 Size 40'-0" X 70'-0" Feet, Total 06 Resi. Plot) नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के पास बन्धक रहन रहेगे। कॉलोनार्जर्स/खातेदार द्वारा किये गये विकास कार्यों के प्रमाणीकरण अनुसार रहनशुद्धा भूखण्ड को रहन मुक्त किया जायेगा।
- स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
- यह है कि आवेदित भूमि को पश्चिम दिशा से व दक्षिण दिशा से मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 में प्रस्तावित 60 फीट सड़क मार्गाधिकार में आने वाली अपने स्वामित्व की क्रमशः माप 30 फीट गुणा 155 फीट व माप 30 फीट गुणा 1155 फीट भूमि निःशुल्क जरिये शपथ पत्र समर्पित की है। सड़क अलाईन्मेन्ट व मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की माँग नहीं करेंगे इस हेतु आप बाध्य रहेंगे।
- आवेदित भूमि में से यदि कोई खाला अथवा विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उसके संबंध में सुरक्षात्मक उपाय खातेदार/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनाये जावेंगे एवं जिसकी समस्त जिम्मेवारी आवेदक/प्रार्थी स्वयं की होगी।
- योजना में स्वीकृत इन्फॉर्मल सैक्टर के भूखण्ड माप 35'-0" X 122'-0" फीट (4270 वर्गफीट) का निष्पादन टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार किया जाना होगा।
- आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।



10. अनुमोदित योजना मानचित्र में सुविधा क्षेत्र/पार्क/सड़क हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार न्यास को समर्पित करते हैं। आवेदित भूमि में स्वीकृत सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड माप Facility Size 110'-0" X 50'-0" फीट (5500 वर्गफीट), Facility 1 Size 29'-6" X 90'-0" फीट (2655 वर्गफीट), Facility 2 Size 29'-6" X 90'-0" फीट (2655 वर्गफीट) = Total 10810 वर्गफीट का उपयोग जन सुविधाओं (पब्लिक यूटिलिटी) हेतु किया जाएगा एवं उक्त भूखण्ड का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार न्यास स्तर पर जारी निर्देशानुसार ही किया जाएगा।
11. योजना की समस्त सड़कें, पार्क व खुला क्षेत्र न्यास में निहित होगा।
12. योजना में लेस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जाएगा।
13. योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जाएगा।
14. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, राजस्थान जयपुर का परिपत्र दिनांक 31.12.2020 की पालना में योजना का वैद्य संचालन हेतु प्रदूषण मण्डल की सम्मति, न्यास से अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये पूर्व प्राप्त का कर प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, राजस्थान जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/ परिपत्रों/ आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी
15. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान व नोटिफिकेशन दिनांक 03.04.2017 में वर्णानुसार 2 हैक्टेयर तक की प्लॉट डवलपमेंट योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु विकासकर्ता से आवासीय आरक्षित दर से गणना कर राशि लिये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त योजना में विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत आरक्षित दर से राशि 90 दिवस में जमा करवाई जानी होगी। उक्त अवधि के पश्चात जमा करवाये जाने वाली राशि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा। (विभागीय आदेश क्रमांक प.18(36) तथेवि/ एन.ए.एच.पी./ 2014 पार्ट दिनांक 04.05.2017)
16. योजना के आन्तरिक विकास कार्य, यथा सड़कें, नालिया, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज एवं पेयजल आदि के समस्त कार्य टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 24 माह में किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्त्रि के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।
17. उपरोक्त योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट) रूल्स 2017 के तहत पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
18. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रास्ट्रक्चर टावरस् हेतु स्थल आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/ आदेशानुसार किया जाना होगा।
19. टाउनशिप पोलिसी-2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होंगे।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

उपरोक्त सभी शर्तें मेरे/हमारे द्वारा पढ़ व समझ ली गई हैं, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।

सहमती हस्ताक्षर
(स्वातेदार/कॉलोनाईजर्स)

क्रमांक :- नियोजन/2023/ 2483
प्रतिलिपि :-

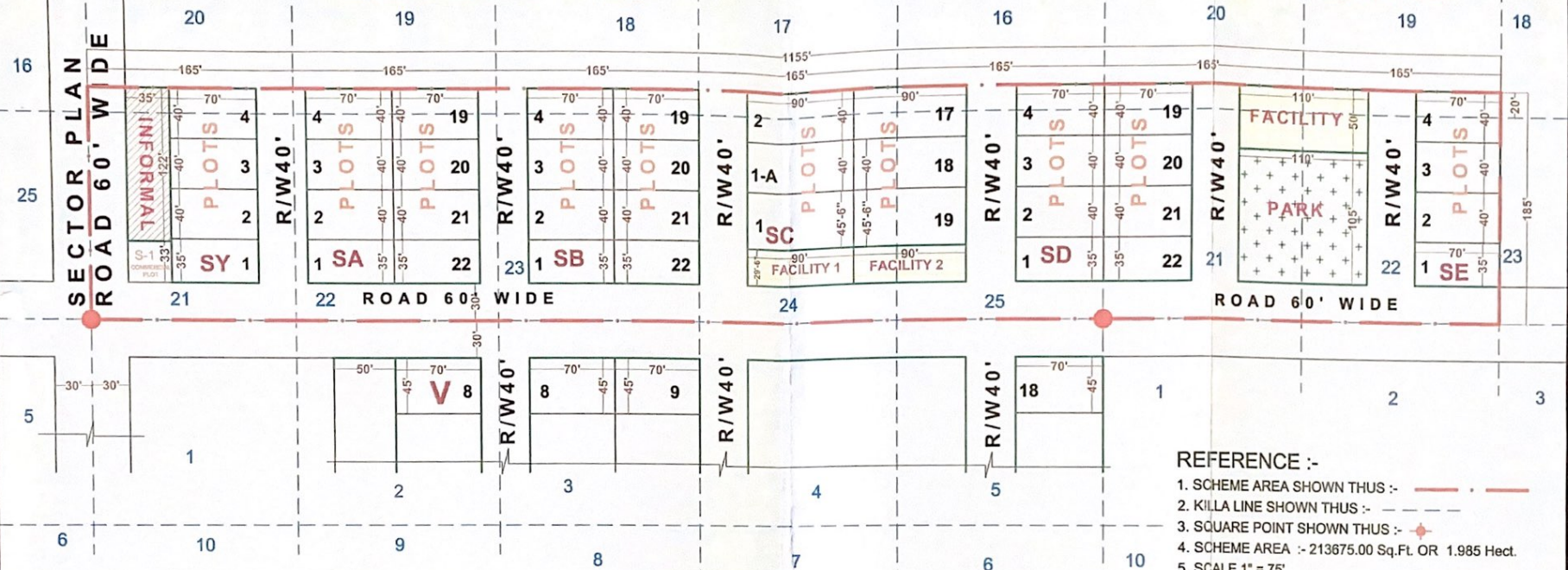
दिनांक :- 24/11/2023

1. स्वातेदार/विकासकर्ता आन्दम हाईट डवलपर्स प्रा0 लि0 जरिए डायरेक्टर श्री यश गुप्ता पुत्र श्री रवि शंकर गुप्ता निवासी 3 ई 01 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर।
2. नियमन शाखा न्यास, श्रीगंगानगर को उक्त रहन रखे गये भूखण्डों का रूपांतरण नहीं करने एवं रहन रखे गये भूखण्डों तथा उक्त योजना में नियमन किये गये भूखण्डों का अलग से रजिस्टर सम्पूर्ण विवरण सहित संधारित करने बाबत।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

SQUARE NO. 41 CHAK 4 M.L.

SQUARE NO. 40 CHAK 4 M.L.



LAYOUT - PLAN

न्यास स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति
की बैठक दिनांक 12.12.2022 को
12.12.2022 पर मवन मानचित्र/ले आऊट
प्लान/साईट प्लान/ स्वीकृत किया गया।

REFERENCE :-

1. SCHEME AREA SHOWN THUS :-
2. KILLA LINE SHOWN THUS :-
3. SQUARE POINT SHOWN THUS :-
4. SCHEME AREA :- 213675.00 Sq.Ft. OR 1.985 Hect.
5. SCALE 1" = 75'
6. OWNER :-

LAND USE ANALYSIS :-

TOTAL LAND 213675.00 Sq. Ft.

S. NO.	PARTICULAR	AREA IN Sq.ft.	%TAGE
1	COMMERCIAL	1155.00 Sq.ft.	0.54 %
2	RESIDENTIAL	109390.00 Sq.ft.	51.20 %
3	INFROMAL	4270.00 Sq.ft.	2.00 %
4	FACILITY	10810.00 Sq.ft.	5.06 %
5	PARK	11550.00 Sq.ft.	5.40 %
6	ROAD	76500.00 Sq.ft.	35.80 %
TOTAL		213675.00 Sq.ft.	100 %

सहायक नगर निवांजक
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)

अधिसाक्षी अभियन्ता
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)

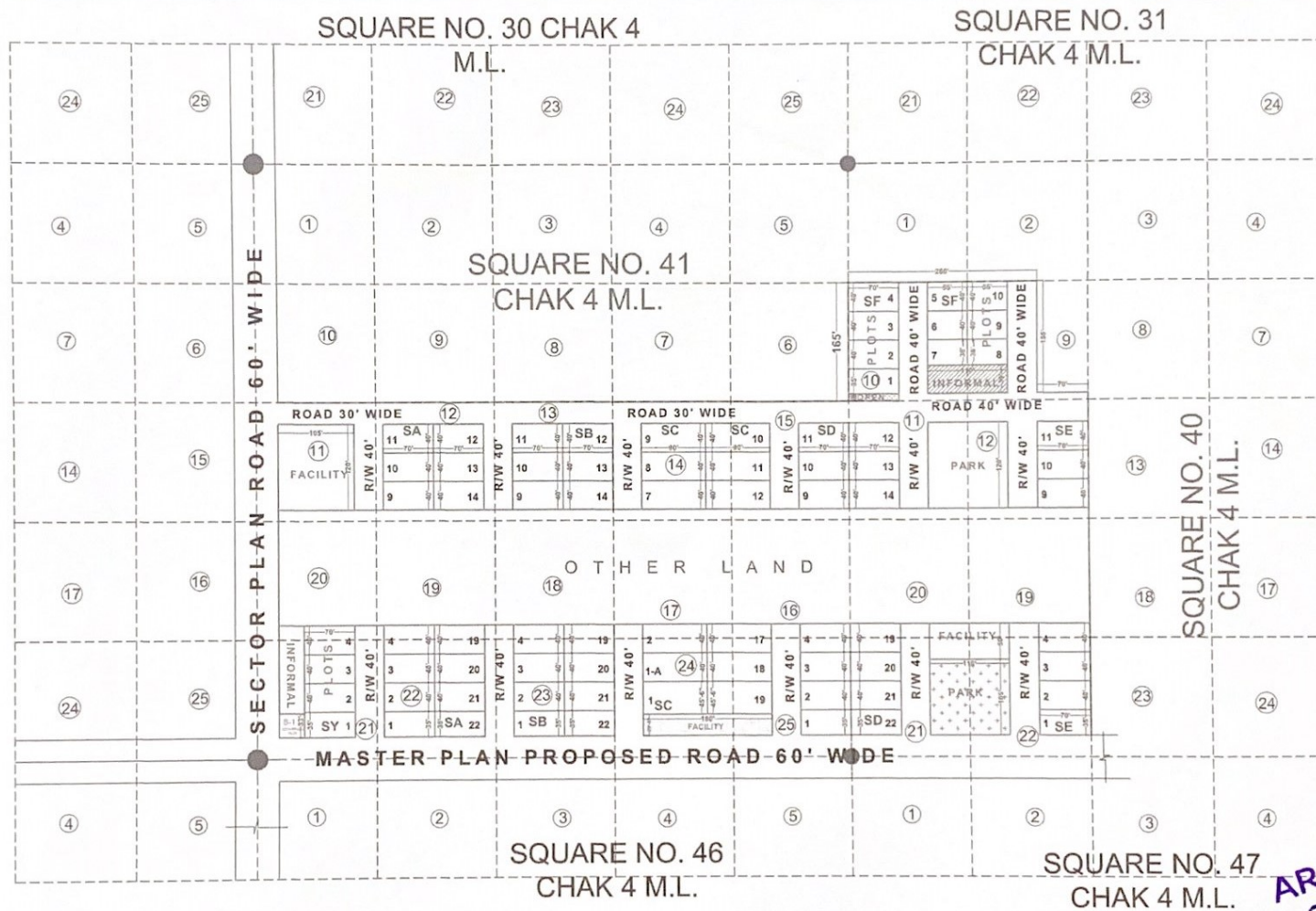
भूमि अधिपति अधिकारी
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)

सचिव
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)

PART OF CHAK PLAN

LAYOUT PLAN OF KILLA NO. 19,20(EACH PART)21,22 SQUARE NO. 40 & KILLA NO.16
TO 20 (EACH PART)21 TO 25 SQUARE NO. 41 CHAK 4 M.L. Dist. SRI GANGANAGAR





AR Neha Gupta
CA/2019/115755

LAYOUT PLAN OF KILLA NO. 9,11,12,19,20(EACH PART),10,21,22 SQUARE NO. 40 & KILLA NO.11 TO 20 (EACH PART)21 TO 25 SQUARE NO. 41 CHAK 4 M.L. Dist. SRI GANGANAGAR